रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267519
CG-DL-E-10112025-267519

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 740]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947
No. 740]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 826(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक , समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 की अनुसूची में, -

(क) क्रम संख्यांक 1 के विरुद्ध, जो संयुक्त निदेशक के पद से संबंधित है, -

(i) स्तम्भ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर, "चयन" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) स्तम्भ (11) में, "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी - "मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के अधीन प्रयोगशालाओं अथवा केंद्रों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11 (67,700-2,08,700 रु.) में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा देने वाले उप निदेशक और जिन्होंने समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत कार्यक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है" प्रविष्टि अंत:स्थापित किए जाएँगे;

(iii) स्तम्भ (11) में, "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, "टिप्पण 1 और टिप्पण 2" का लोप किया जाएगा और "टिप्पण 3" को "टिप्पण" के रूप में पठित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्यांक 2 के विरुद्ध, जो उप निदेशक के पद से संबंधित है, -

(i) स्तम्भ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर, "चयन" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) स्तम्भ (11) में, "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, "मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के अधीन प्रयोगशालाओं अथवा केंद्रों में " वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 9 (53,100-1,67,800 रु.) में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा देने वाले प्रशासनिक अधिकारी" शब्दों के पश्चात्, "और जिन्होंने समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत कार्यक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएँगे;

(iii) स्तम्भ (11) में, "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, "टिप्पण 1 और टिप्पण 2" का लोप किया जाएगा और "टिप्पण 3" को "टिप्पण" के रूप में पठित किया जाएगा;

(iv) स्तम्भ (11) में, उप-शीर्ष "प्रतिनियुक्ति" के अधीन, मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद "(iii अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900- 142400 रु.) में पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो " अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं सं. 2(6)/2025-पीए(टीए)]

एम. वेल्लैपांडी, महानिदेशक

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

टिप्पण: - मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.. 468(अ), तारीख 01 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Standardisation Testing and Quality Certification Directorate)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2025

G.S.R. 826(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Joint Director and Deputy Director, Group ‘A' post Recruitment Rules, 2021, namely:

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Joint Director and Deputy Director (Group 'A' Posts), Recruitment (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Joint Director and Deputy Director, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2021, in the Schedule, -

(a) against serial number 1, relating to the post of Joint Director, -

(i) for entry in column (5), the entry "Selection" shall be substituted;

(ii) in column (11), under the heading “Promotion”, for the existing entries, the entries “Deputy Director with five years’ regular service in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) in laboratories or Centres under Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time” shall be substituted;

(iii) in column (11), under the heading “Promotion”, the “Note 1 and Note 2” shall be omitted and “Note 3” shall be read as “Note”;

(b) against serial number 2, relating to post of Deputy Director, -

(i) for entry in column (5), the entry "Selection" shall be substituted;

(ii) in column (11), under the heading “Promotion”, after the words, “Administrative Officers in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) in Laboratories or Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate with five years of regular service, the words “and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time” shall be inserted;

(iii) in column (11), under the heading “Promotion”, the “Note 1 and Note 2” shall be omitted and “Note 3” shall be read as “Note”;

(iv) in column (11), under the sub-heading “Deputation”, after the item (ii), the following item “(iii) officers with nine years’ regular service in the posts in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400)" shall be inserted.

[F. No. No. 2(6)/2025-PA(TA)]

M. VELLAIPANDI, Director General
Standardisation Testing and Quality Certification Directorate

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 468(E), dated the 1st July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.10 15:40:39 +05'30'